To,

उप वन संरक्षक वन्यजीव,

जोधपुर।

Subject: Submission of Point wise compliance report of received EDS Vide Letter क्रमांक :– एफ( ) विकास / उवसं.वजी. / 2023–23 / 1801 दिनांक 18 / 05@2022 regarding Construction and Renovation works at Machia Fort and Construction of Approach Road from Kaylana Main Road to Machia Fort at Jodhpur (Rajasthan) vide Forest diversion Proposal No. FP/RJ/Others/146292/2021.

संदर्भ :– पत्र क्रमांक :– एफ( )विकास / उवसं.वजी. / 2023–23 / 1801 दिनांक 18 / 05 / 2022

Dear Sir,

With reference to above mentioned Subject, we have received the EDS letter regarding **"Construction and Renovation works at Machia Fort and Construction of Approach Road from Kaylana Main Road to Machia Fort at Jodhpur (Rajasthan)"**.

We have incorporated all the comments and uploaded the required document on MoEF Web portal for you reference and further Processing.

Point wise Compliance Report is as following:

S. No.	EDS raised by Forest Department	Reply by User Agency
1.	मचिया वनखण्ड में स्थित माचिया जैविक उद्यान, जोधपुर के केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली से अनुमोदित नक्शे अनुसार कुल क्षेत्रफल 41 है0 बताया गया है, आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा उपलब्ध करवायें गये नक्शे अनुसार उक्त 41 है0 क्षेत्रफल में जैविक उद्यान कैफेटेरिया एडमिन ब्लॉक पार्किंग इत्यादि, आवासीय कॉलोनी, भविष्य हेतु खुला वन क्षेत्र, रैस्क्यू सेंटर हेतु खुला वन क्षेत्र, कारकस प्लांट क्षेत्र शामिल है। उपरोक्तानुसार एफ.सी.ए. डाइवर्जन प्रस्ताव में माचिया जैविक उद्यान से माचिया किला तक प्रस्तावित एप्रोच रोड़ माचिया जैविक उद्यान से होकर गुजरती है। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली से अनुमोदित नक्शे अनुसार जैविक उद्यान के प्रवेश द्वार से कैफेटेरिया तक उद्यान की विजिटर रोड़ दर्शाइ हुई है, जो कि एफ.सी.ए. प्रस्ताव में एप्रोच रोड के लिये प्रस्तावित है। माचिया जैविक उद्यान से माचिया किला रोड़ पर तीन हर्बीवोरस (चीतल, कृष्ण मृग एवं चिंकारा) के एन्क्लोजर्स बने हुए है। इन हर्बीवोरस के एन्क्लोजर्स तक यह किला रोड़	बिन्दु संख्या 1 की पालना में आवश्यक संशोधन करवा दिया गया है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।

अधिशाषी अभियन्ता
जोन-पश्चिम
रा. वि. प्राधि., जोधपुर

	राशन–पानी इत्यादि पहुंचाने के लिये सर्विस रोड़ की तरह काम में ली जा रही है। माचिया किले तक एप्रोच रोड़ प्रस्तावित किये जाने पर वाहनों के आवागमन, वायु प्रदुशण, हॉर्न, लाईट, इत्यादि से वन्यजीवों की प्रकृति व स्वास्थ्य पर दूरगामी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। माचिया जैविक उद्यान के शाम को बंद होने के उपरांत वन्यजीव अपने एन्क्लोजर में एकांत विश्राम करते है। एप्रोच रोड़ में पर्यटकों तथा वाहनों के आवगमन से वन्यजीव के एकांत आश्रय में बाधा उत्पन्न होगी। उपरोक्तानुसार एफ.सी.ए. डाइवर्जन प्रस्ताव में प्रस्तावित एप्रोच रोड़ के लिये केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली (वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972) से अनुमोदित ले–आउट प्लान के अन्दर से माचिया किले के लिये एप्रोच रोड़ हेतु माचिया जैविक उद्यान के अनुमोदित ले–आउट प्लान से सुरक्षित दूरी पर तथा भविष्य में होने वाले माचिया जैविक उद्याान के विकास कार्यो को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित एप्रोच रोड़ के आलावा अन्य रास्ता उपयोग में लिया जाने हेतु प्रस्ताव में वांछित संशोधन करावें।	
2.	उपरोक्त प्रस्ताव में संलग्न प्रोजेक्ट रिपोर्ट के पृष्ठ सं. 11 के अंतिम बिंदु में "Cater for some transportation from the nearest bus stand till the Machia Memorial Gate to aid the common Tourist who do not have their own transport" में पर्यटकों हेतु माचिया मेमोरियल गेट तक वाहन सुविधा प्रस्तावित है। उक्त वाहनों के आवागमन से माचिया जेविक उद्यान में किला रोड़ पर दाई तरफ बने हर्बीवोरस के तीन एन्क्लोजर के वन्यजीव के प्राकृतिक वातावरण में प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। अतः माचिया किले के लिये एप्रोच रोड़ हेतु माचिया जैविक उद्यान के अनुमोदित ले–आउट प्लान के अलावा अन्य रास्ता उपयोग में लिया जाने हेतु प्रस्ताव में संशोधन वांछित है तथा भविष्य में माचिया वनखण्ड में माचिया किला आवागमन के लिये ध्वनि तथा वायु प्रदुषण रहित इलैक्ट्रीक वाहनों, सॉलर चलित वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाने हेतु वांछित संशोधन करावें।	बिन्दु संख्या 2 की पालना में आवश्यक संशोधन करवा दिया गया है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।
3.	उपरोक्त प्रस्ताव में संलग्न प्रोजेक्ट रिपोर्ट के पृष्ठ सं. 13 के Timings बिंदु में समय शाम 04:00 पी.एम. से रात्रि 10:00 पी.एम. तक प्रस्तावित है तथा "The 3D Mapping cum light and sound show" प्रस्तावित है। माचिया जैविक उद्यान शाम 06:00	बिन्दु संख्या 3 की पालना में आवश्यक संशोधन करवा दिया गया है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।

अधिशाषी अभियन्ता
जोन-पश्चिम
(रा.रा. प्राधि.) जोधपुर

	पी.एम. बजे बंद करने के बाद वन्यजीवों के प्राकृतिक आवासीय वातावरण हेतु अंधेरा रखा जाता है तथा लाईट, बल्ब इत्यादि नही जलाये जाते है ताकि वन्यजीव प्राकृतिक जंगल के वातावरण में ब्रीडिंग व अन्य क्रियाकलाप स्वछंद रूप से कर सके। शाम 06:00 पी. एम. बजे के बाद पर्यटकों तथा वाहनों की आवाजाही, लाईट तथा साउण्ड शॉ से माचिया जैविक उद्यान में वन्यजीवों के रात्रिकालीन प्राकृतिक वातावरण में प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। अतः माचिया किले के लिये एप्रोच रोड़ हेतु माचिया जैविक उद्यान के अनुमोदित ले–आउट प्लान के अलावा अन्य रास्ता उपयोग में लिया जाने तथा उद्यान बंद होने के उपरांत तीव्र रोशनी तथा तेज शोर, लाईट एवं साउण्ड शॉ काम में नही लिये जाने हेतु प्रस्ताव में वांछित संशोधन करावें।	
4.	उपरोक्त प्रस्ताव में माचिया किला तक एप्रोच रोड की संलग्न KML तथा DGPS नक्शे अनुसार एप्रोच रोड के बिंदु 1 व 2 (Road Exit Chainage 1912.416m) माचिया वनखण्ड में कायलाना रोड / सड़क से लगभग 135 मीटर अन्दर से शुरूआत हो रहा है। जबकि माचिया वनखण्ड की सीमा कायलाना रोड़ तक है। साथ ही उक्त KML में दर्शाये गये माचिया वनखण्ड के नक्शे में इस कार्यालय का भवन, पार्किंग, प्रवेश द्वार तथा टिकट खिड़की,, खाद्य भण्डार, वन्यजीव चिकित्सालय, इत्यादि को माचिया वनखण्ड से बाहर बताया गया है, जबकि ये सभी माचिया वनखण्ड का ही हिस्सा है। अतः माचिया किले तक एप्रोच रोड़ कायलाना रोड़ तक बढाया जाकर प्रस्ताव में वांछित संशोधन करावें।	बिन्दु संख्या 4 की पालना में आवश्यक संशोधन करवा दिया गया है। तथा प्रस्तावित रोड में संशोधन कर संशोधित KML file पार्ट 1 में अपलोड कर दी गई है।
5.	उपरोक्त प्रस्ताव में प्रोजेक्ट का नाम "Construction and Renovation works at Machia Fort and Construction of Approach Road from Machia Biological Park to Machia Fort at Jodhpur (Rajasthan)" प्रस्तावित किया गया है, जिसमें एप्रोच रोड़ माचिया जैविक उद्यान से माचिया किला बताई है। जबकि ऑनलाईन किये गये दस्तावेज तथा प्रस्ताव की पांचो प्रतियो में संलग्न किये गये Justification/Undertaking/Certificate/Area Calculation Sheet/Bar chart/Khasra Map/Topo sheet/DGPS Map इत्यादि सभी दस्तावेजों में प्रोजेक्ट नाम "Construction and Renovation works at Machia Fort and	बिन्दु संख्या 5 की पालना में आवश्यक संशोधन करवा दिया गया है। Justification/ Undertaking/Certificate/Area Calculation Sheet/Bar chart/Khasra Map/Topo sheet/DGPS Map इत्यादि सभी दस्तावेजों में आवश्यक संशोधन करवा कर ऑनलाईन पार्ट 1 में अपलोड कर दीये गये है।

अधिशाषी अभियन्ता
जोन-पश्चिम.
ज. वि. प्राधि.. जोधपुर

	Construction of Approach Road from Machia Biological Park to NH Via Machia Fort at Jodhpur (Rajasthan)" जिसमें एप्रोच रोड़ माचिया जैविक उद्यान से माचिया किला होते हुए NH तक बताई गई है। उपरोक्त प्रस्ताव में माचिया किला एप्रोच रोड़ माचिया किला से कायलाना रोड़ तक वांदित संशोधन करावें।	
6.	उपरोक्त प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वन–विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित गैर वन भूमि (Non Forest Land) हेतु Undertaking संलग्न किया गया है। उपरोक्त गैर वन भूमि क्षेत्र आवंटन के क्रम में जिला कलक्टर जोधपुर का कार्यालय आदेश, राजस्व जमा बंदी की प्रति, राजस्व नक्शा जिसमें आवंटित भूमि खसरा के चारो ओर की सीमा से लगते हुए खसरान का अंकन किया हो तथा उपरोक्त भूमि वानिकी कार्यो/पौधारोपणं हेतु उपयुक्त हो, संलग्न कर प्रस्ताव में वांछित संशोधन करावें।	बिन्दु संख्या 6 की पालना में प्रत्यावर्तित गैर वन भूमि (Non Forest Land) हेतु Undertaking संलग्न किया गया है एवं गैर वन भूमि क्षेत्र आवंटन के क्रम में जिला कलक्टर जोधपुर कार्यालय में आवेदन कर दिया गया है। आवेदन की प्रति संलग्न है।
7.	माचिया पार्क से माचिया किला तक रोड़ के बीच में बने पुल के दोनो तरफ कायलाना झील का पानी एकत्र है जहां विभिन्न जलीय पछियों की प्रजनन के लिए नेस्टिग की जाती है। पर्यटकों तथा वाहनों के आवागमन से जलीय पक्षियों को उनके प्राकृतिक आवास में विचरण करने तथा प्रजनन करने में प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। साथ ही माचिया वनखण्ड में वन्यजीवों व वनस्पति को नुकसान पहुंचने से बचाने तथा कायलाना झील से पर्यटकों की सुरक्षित दूरी बनाये रखने हेतु एप्रोच रोड़ के दोनो तरफ 12 फीट या अधिक उंचाई की चैनलिंक फैंसिंग तथा आवश्यकतानुसार सुरक्षा दीवार प्रस्तातित किया जाना सुनिश्चित करावें।	बिन्दु संख्या 7 की पालना में वन विभाग के नियमों का ध्यान में रख कर ही कार्य किया जावेगा इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।

Place : Jodhpur
Date : 26.05.2022

Signature of User Agency
Office Seal

अधिशाषी अभियन्ता
जोन-पश्चिम
जो. वि. प्राधि.. जोधपुर